

प्रधान कार्यालय
उ.प.रेलवे जयपुर
आरबीई सं.-16/2015
दिनांक 23.03.2015

संख्या:-500-E/O/MPP

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर

सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

R.B.E.016/2015

Sub:- Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.910(E) dated 19.12.2014,
regarding enhancement of rates of stipend for Graduates, Technician
(Vocational) apprentices under the Apprentices Act 1961.

Ref:- 1. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(MPP)/ 2015/6/2 दिनांक 09.03.2015.
2. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.01.2014(आरबीई सं.008 /2014)
3. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.02.2010(आरबीई सं.16 /2010)
4. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.01.2015(आरबीई सं.02 /2015)
5. इस कार्यालय का पत्र सं. 936ई/0/ट्रेनिंग/अप्रेंटिस दिनांक 06.09.2007(आरबीई सं.
109 /2007)

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि 05.03.2015 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही,
मार्ग दर्शन एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलंगन- यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

01. महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू	15 प्रतियाँ।
02. महासचिव- यूपीआरएमएस	15 प्रतियाँ।
03. महासचिव- एससी/एसटी एसो.	15 प्रतियाँ।
04. महासचिव- ओबीसी एसो.	05 प्रतियाँ।
05. महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो.	05 प्रतियाँ।
06. महासचिव- एआई.आरपीएफ एसो.	05 प्रतियाँ।

(दिलीप व्यास)

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

10/12/15
CXC
(55)
Dy. Cto (R)
Ch. os/EP
10/12/15

No. E(MPP)/2015/6/2

New Delhi,

RBE No. **16/2015**
Dated: **.02.2015**

09/03/2015

NWR
The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.910(E) dated 19.12.2014, regarding enhancement of rates of stipend for Graduate, Technician and Technician (Vocational) apprentices under the Apprentices Act, 1961.

Please refer to Ministry of Railways letters No. E(MPP)/2007/6/3 dated 23.08.2007 (**RBE No. 109/2007**), dated 09.03.2011 (**RBE No.31/2011**) and E(MPP)/2013/6/7 dated 15/01/2014 (**RBE No.8/2014**).

It has been decided that the Trade Apprentices engaged on the Indian Railways under the Apprentices Act, 1961 should be paid stipend with effect from 19/12/2014 at the revised rates as notified in the Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour & Employment's Notification No. G.S.R.910 (E) dated 19.12.2014 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Extraordinary Gazette of India on 23/12/2014 (Copy of the notification is enclosed). The expenditure should be met from within the existing budget allotment.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

Anuradha Singh
(Anuradha Singh)
Director (Trg. & MPP)
Railway Board

DA: As above

No. E(MPP)/2015/6/2

Dated: **/02/2015**

Copy forwarded for information:

09/03/2015


3. FA&CAO, All Indian Railways and Production Units, Metro, COFMOW, CORE.
4. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi. (with 40 spares).

V. B.
For Financial Commissioner/Railways

Copy for information to:

1. Ministry of Labour, DGE&T (Ms. Sandhya Salwan, Director (AT), Sharam Shakti Bhawan, New Delhi.

Anuradha Singh
(Anuradha Singh)
Director (Trg. & MPP)
Railway Board



Conted....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एमपीपी)2015/6/2

आरबीई सं. 16/2015
नई दिल्ली, 10/2/2015
09/03/2015

महाप्रबंधक (पी)

सभी भारतीय रेलों और
उत्पादन इकाइयां.

विषय: अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) अप्रेंटिसों के वज़ीफे की दरें बढ़ाने से संबंधित दिनांक 19.12.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर.910(ई) अग्रेषित करना।

कृपया रेल मंत्रालय के दिनांक 23.08.2007 (आरबीईसं. 109/2007) और दिनांक 9.03.2011 (आरबीई सं. 31/2011) के पत्र सं. ई(एमपीपी)2007/6/3 और दिनांक 15/01/2014 (आरबीई सं. 8/2014) के पत्र सं. ई(एमपीपी)/2013/6/7 का अवलोकन करें।

यह विनिश्चय किया गया है कि अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत भारतीय रेलों में नियुक्त ट्रेड अप्रेंटिसों को 23/12/2014 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड १(i) में प्रकाशित रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की दिनांक 19.12.2014 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 910 (ई) (अधिसूचना की प्रति संलग्न है) में यथा अधिसूचित संशोधित दरों पर दिनांक 19/12/2014 से वज़ीफे का भुगतान किया जाए। इस व्यय को मौजूदा बजट आबंटन से पूरा किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त

अनुराधा
25/2/15

(अनुराधा सिंह)

निदेशक (ट्रेनिंग एवं एमपीपी)
रेलवे बोर्ड


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]
No. 686]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2014 / पौष 2, 1936
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2014/PAUSA 2, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 910(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (चौथा संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ड.) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(क) स्नातक शिक्षु 4984 रुपए प्रतिमास
(ख) सेंडविच पाठ्यक्रम 3542 रुपए प्रतिमास
(डिग्री संस्थाओं से छात्र)

(ग) तकनीकी शिक्षु 3542 रुपए प्रतिमास
(घ) सेंडविच पाठ्यक्रम 2890 रुपए प्रतिमास
(डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)

(ड.) तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षु 2758 रुपए प्रतिमास"

[सं. डीजीईटी-4(1)/2012-एपी]

आलोक कुमार, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 1 अगस्त, 1992 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 680(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2014

G.S.R. 910(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Fourth Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules 1992, in rule 11, in sub-rule (2), for clauses (a), (b), (c), (d) and (e) and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

“(a) Graduate Apprentices	Rs. 4984 per month
(b) Sandwich Course (Students from Degree Institutions)	Rs. 3542 per month
(c) Technician Apprentices	Rs. 3542 per month
(d) Sandwich course (Students from Diploma Institutions)	Rs. 2890 per month
(e) Technician (Vocational) Apprentices	Rs. 2758 per month”.

[No. DGET-4(1)/2012-AP]

ALOK KUMAR, Director General/ Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 1st August, 1992 *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* notification number G.S.R. 680(E), dated the 22nd September, 2014.